



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 माघ, 1943 (श०)

संख्या - 65 राँची, शुक्रवार,

18 फरवरी, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

7 फरवरी, 2022

संख्या-5/आरोप-1-72/2018-1393 (HRMS)--श्री रविन्द्र कुमार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-गिरिडीह), तत्कालीन अंचल अधिकारी, माण्डू, रामगढ़ के विरुद्ध राजस्व, निबंधनन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2648, दिनांक 21.06.2018 के माध्यम से उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-151/स्था०, दिनांक 31.05.2018 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध कोडरमा-राँची भाया हजारीबाग-बरकाकाना न्यू बी०जी० रेल लाईन निर्माण में अर्जित बन्दोबस्ती जमीन के मुआवजा भुगतान में बगैर कागजातों की जाँच एवं बिना स्थल जाँच किये हुए आवेदक के आवेदन तथा राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के आवेदन में अंकित प्रतिवेदन के आधार पर गलत वंशावली प्रमाण पत्र संख्या-56, दिनांक 31.03.2016 निर्गत करने एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-5325, दिनांक 17.06.2018 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गई। कई स्मार पत्रों द्वारा स्मारित करने के बावजूद भी श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है, जिससे फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं०-1124(hrms), दिनांक 02.02.2021 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-171, दिनांक 23.09.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में कहा गया कि शपथ पत्र संख्या-56, दिनांक 31.03.2016 का अंकित नहीं किया जाना संबंधित कार्यालय सहायक का ही दायित्व बनता है और इसके लिये अंचल अधिकारी को सीधे तौर पर उत्तरदायी प्रतीत नहीं होते हैं। फलतः श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप व्यवहारिक रूप से प्रमाणित नहीं होता है।

श्री कुमार के विरुद्ध आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत श्री रविन्द्र कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, माण्डू, रामगढ़ को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAVINDRA KUMAR 111001165679	श्री रविन्द्र कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, माण्डू, रामगढ़ को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री रविन्द्र कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
